रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042021-226374
CG-DL-E-05042021-226374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2021/चैत्र 15, 1943
No. 199]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2021/CHAITRA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 250(अ)—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92घ की उपधारा (1) और उपधारा (4) तथा धारा 286 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौ वां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10घक में,--

(क) उपनियम (2) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर, "निदेशक" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (4) में,--

(i) "जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्व है," शब्दों के स्थान पर, "जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्वों से उपनियम (2) के अधीन सूचना और दस्तावेज फाइल करने की अपेक्षा की गई है," शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर, "निदेशक" शब्द रखा जाएगा ।

3. मूल नियम के नियम 10घख में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) धारा 286 के प्रयोजनों के लिए, आय-कर प्राधिकारी, संयुक्त निदेशक होगा, जो, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा पदाभिहित किया जा सकेगा ।";

(ख) उपनियम (6) में, "पांच हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "छह हजार चार सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल नियम के परिशिष्ट 2 के प्ररूप सं. 3गङकख के शीर्षक में, "भारत में निवासी" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 31/2021/फा. सं. 370142/19/2019-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति विधान प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना संख्या का.आ. 246(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2021

Income-tax

G.S.R 250(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 92D and sub-section (8) of section 286 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (9th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 10DA,–

(a) in sub-rule (2), for the word "Commissioner", the word "Director" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), –

(i) for the words "constituent entities resident in India of an international group" the words, brackets and figure "constituent entities of an international group required to file the information and document under sub-rule (2)," shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word "Commissioner", the word "Director" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 10DB, −

(a) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely: −

"(1) The income-tax authority for the purposes of section 286 shall be the Joint Director as may be designated by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.";

(b) in sub-rule (6), for the words "five thousand five hundred" the words "six thousand four hundred" shall be substituted.

4. In the principal rules, in the Appendix II, in Form No. 3CEAB, in the heading, the words ", resident in India," shall be omitted.

[Notification No. 31/2021 / F.No.370142/19/2019-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy Legislation Division)

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R 246(E), dated 1st April, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.05 22:01:50 +05'30'